संख्या–2060 / 9–आ–1–2000

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।
2. **आवास आयुक्त,**
   उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
   104–महात्मा गान्धी मार्ग, लखनऊ।

आवास अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 06 मई, 2000

विषय :सम्भावित सूखे एवं बाढ़ से सम्बन्धित समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे आपसे कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में समय–समय पर बाढ़ की विभीषिका एवं सूखे के कारण जनमानस को अनेकों कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं। साथ ही साथ आर्थिक समस्यायें भी उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके निराकरण के लिये समय–समय पर शासन द्वारा व्यवस्था की जाती रही है। आप सहमत होंगे की शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना शासन की एक नीति है, अतएव उपयुक्त होगा कि विकास प्राधिकरणों तथा आवास विकास परिषद की कालोनियों में संचालित ट्यूबवेल, स्टोर सम्बन्धी टैंकों आदि के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कर ली जाय–

1. सभी ट्यूबवेल चालू हालत में करा लिये जायं। प्रत्येक चार या पाँच मोटर पर एक स्पेयर मोटर की भी व्यवस्था रखी जाय। ताकि आकस्मिक अवस्था में पेयजल की आपूर्ति निर्विवाद रूप से सुलभ होती रहे।
2. सभी स्टोरेज टैंक / रिजर्वायर को शुद्ध करा लिया जाय, ताकि स्वच्छ एवं शुद्ध जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।
3. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि टैंकों / रिजर्वायर में पर्याप्त रूप से क्लोरीनेशन का कार्य किया जा रहा है और उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न न होने पाये। इसकी पर्याप्त एवं सुनिश्चित रूप से व्यवस्था की जाय।
4. विकास प्राधिकरणों तथा परिषद के पास जितने भी पानी के टैंकर हैं, उन्हें चालू हालत में रखा जाय, ताकि आकस्मिकता की स्थिति में पेयजल की सुविधा उपलब्ध होती रहे।

समस्त उपाध्यक्षों एवं आवास आयुक्त को मई, 2000 के अन्त में इस आशय का एक प्रमाण–पत्र देना होगा कि उपर्युक्त सभी व्यवस्थायें पर्याप्त एवं सुनिश्चित रूप से उपलब्ध हैं।

भवदीय
अतुल कुमार गुप्ता
संयुक्त सचिव।

संख्या–2060(1) / 9–आ–1 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त उपाध्यक्ष / अध्यक्ष / मण्डलायुक्त, विकास प्राधिकरण।
2. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव (श्री अरूण कुमार सिन्हा) उ0 प्र0 शासन।

3. निजी सचिव, मा0 आवास मंत्री जी।
4. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, आवास।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रामवृक्ष प्रसाद,
संयुक्त सचिव।

संख्या–2451 / 9–आ–1–2000–50 केडीए / 99

प्रेषक,

श्री रामवृक्ष प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण, (कानपुर को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 27 मई, 2000

विषय :वर्ष 1984 के दंगा पीड़ितों को दुकान आवंटन में वरीयता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपसे कहने का निदेश हुआ है कि उक्त के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–1488 / 9–आ– 1–2000–50 के0डी0ए0 / 99, दिनांक 1 अप्रैल, 2000 यह निर्देश दिये गये थे कि वर्ष 1984 के प्रभावित दंगा पीड़ितों को दूकान आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किये जायं और समुचित स्थानों पर दूकानें बनाकर लाटरी के माध्यम से आवंटित की जायं। इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से एक सप्ताह के अन्दर शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
रामवृक्ष प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या–3081/9–आ–1–2000.35 बजट/1999

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **मुख्य महाप्रबन्धक,**
   भारतीय स्टेट बैंक,
   स्थानीय प्रधान कार्यालय, 11–संसद मार्ग,
   नई दिल्ली–110001
2. **जिलाधिकारी,**
   चमोली/रूद्र प्रयाग/पौड़ी/टिहरी गढ़वाल।
3. **परियोजना निदेशक,**
   राहत एवं पुनर्वास,
   पौड़ी गढ़वाल।

आवास अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 7 जुलाई, 2000

विषय :प्रदेश के कतिपय पहाड़ी क्षेत्रों में दिनांक 28/29 मार्च, 1999 को आये भूकम्प से क्षतिग्रस्त आवासीय भवनों के पुनर्निमाण/मरम्मत हेतु ऋण की व्यवस्था किये जाने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–6421/9–आ–1–99–35–बजट/99, दिनांक 4–2–2000 द्वारा गढ़वाल मण्डल के चमोली, पौड़ी, रूद्र प्रयाग एवं टिहरी गढ़वाल जनपदों को प्रथम किस्त के रूप में प्रत्येक जनपद के लिये रुपये 4.4 लाख की धनराशि वित्तीय वर्ष 1999–2000 में अवमुक्त किये जाने हेतु स्वीकृति निर्गत की गयी थी किन्तु कतिपय कारणोंवश गत वित्तीय वर्ष इस धनराशि का आहरण नहीं हो सका था।

2. जब तक इस योजना हेतु बजट में धनराशि उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था नहीं कर दी जाती है तब तक इस योजना हेतु कन्टीजेन्सी के माध्यम से अनुदान की धनराशि स्वीकृति किये जाने का निर्णय लिया गया है। क्योंकि नियमानुसार कन्टीजेन्सी मद से अवमुक्त की गयी धनराशि का तुरन्त उपयोग हो जाना आवश्यक है। अतः यह सैद्धान्तिक स्वीकृति दी जाती है कि कन्टीजेन्सी मद से वांछित आवश्यक धनराशि तभी उपलब्ध करायी जायेगी जब बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत कर दिया जायेगा तथा अनुदान की मांग जिलाधिकारी से की जाती है।

3. अतः जिलाधिकारी उपरोक्तानुसार आवेदन बैंक को उपलब्ध करायें तथा ऋण स्वीकृति की सूचना प्राप्त होते ही अनुदान की मांग प्रस्तुत करें, ताकि उसे उपलब्ध कराया जा सके।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या– 3081(1)/9–आ–1–2000 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल विकास विभाग,राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग, कर एवं पंजीयन विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, वित्त विभाग, बैंकिंग विभाग।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी–गढ़वाल।

3. श्री वी0 के0 नन्दा, मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, 11–संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 को इस अनुरोध के साथ कि बैंक शाखाओं को समुचित निर्देश देने का कष्ट करें।
4. आवास आयुक्त को इस अनुरोध के साथ कि वे भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली से तुरन्त सम्पर्क कर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें।
5 राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।